

क्रमांक (Sr. No.)

64149894



# माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश Board of High School and Intermediate Education, U.P.



हाईस्कूल परीक्षा - २०१६

High School Examination - 2016

प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र (CERTIFICATE-CUM-MARKS SHEET)

अनुक्रमांक Roll No.	जनपद/केन्द्र/विद्यालय कोड Distt./Centre/School Code	संस्थागत/व्यक्तिगत Regular / Private	परीक्षा प्रवर्ग Exam. Type	प्रमाणपत्र क्रमांक Certificate No.
2357197	64/24540/1325	REGULAR	FULL EXAM	64031475

प्रमाणित किया जाता है कि (This is to certify that)  
परिषद् के अभिलेखानुसार (according to the Board's record)-  
आत्मज/आत्मजा श्रीमती (son/daughter of Mrs.)-  
एवं श्री (and Mr.)-  
जिनकी जन्मतिथि (whose date of birth is)-

NEERAJ PANDEY  
SHKUNTALA

VIRENDR PANDEY

15TH JULY TWO THOUSAND ONE (15-07-2001)

ने फरवरी/मार्च 2016 की हाईस्कूल परीक्षा विद्यालय/केन्द्र (has passed High School Examination held in February/March 2016  
from School/Centre)-  
से निम्न विवरणानुसार उत्तीर्ण की है (with the following details): -

विषय Subject	अधिकतम अंक Max. Marks	प्राप्तांक Obtained Marks	योग Total	ग्रेड Grade	परीक्षाफल Result
HINDI	100	055	030	085	A2
ENGLISH	100	055	030	085	A2
MATHEMATICS	100	060	030	090	A2
SCIENCE	100	055	029	084	A2
SOCIAL SCIENCE	100	041	030	071	B1
SANSKRIT	100	035	030	065	B2

No divisions are awarded

Category of Moral, Sports and Physical Education-

A

तिथि (Date)- 15TH MAY' 2016.

स्थान (Place)- Allahabad, Uttar Pradesh

Note : For Important Instructions see overleaf.



श्रीमती शैल यादव  
(Smt. Shail Yadav)  
सचिव (Secretary)



# High School Examination - 2016

Abbrev. Name	Full Name of the Subjects	Abbrev. Name	Full Name of the Subjects
ELE. HINDI	Elementary Hindi	ACCOUNT & AUDIT	Accountancy & Auditing
MUSIC INSTRUMTL	Music Instrumental	FRUIT PREV TECH	Fruit Preservation Technology
BAKING & CONFEC	Baking & Confectionary	CROP PROTCTECH	Crop Protection Technology
DRESS MK & DECO	Dress Making & Decoration	RADIO & TV TECH	Radio Television Technique
FOOD PRESERV	Food Preservation	WEAVING TECH	Weaving Technology

1. प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र को निर्धारित करने के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को विद्यालय अपने मूल अभिलेखों से जांच कर ले और यदि कोई त्रुटि है तो अपनी संतुष्टि के साथ सुधारित प्रतियों को संलग्न करते हुए संशोधन के लिए सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सहायक प्रमुख प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र के साथ भेजे। परीक्षाधीन प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र की प्रतियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व स्वयं देख लें, यदि प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र में अधिक त्रुटियों में कोई त्रुटि है तो उसकी त्रुटि के लिए प्रमाणपत्र के माध्यम से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सहायक प्रमुख पत्र अवरुद्ध प्रस्तुत कर दें। परिचरु कार्यालय द्वारा प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र निर्धारित की तिथि के तीन वर्ष बाद प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र में संशोधन के लिए दिने गये प्रमाण पत्र पर इम्प्लायमेंटिएट क्लिप अधिनियम 1921 के अन्वय में के विनियम-7 के अनुसार विचार करण सम्भव नहीं होगा।
2. परीक्षाधीन प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र को जलने, फट हो जाने, धराशायी हो जाने, विकृत हो जाने अथवा अधिकतम धुंधिल हो जाने की स्थिति में उसे परिचरु द्वारा प्रेषित प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र प्रदान किया जायेगा। इसके लिए परीक्षाधीन को प्रमाण पत्र के साथ (1) 70.00 रुपये (सत्तर रुपये मात्र) के मुद्रांक का प्रमाण पत्र राज्यीय कोषागार में परिचरु के निर्धारित फार '202-किसा, खेल कला और संस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 102-प्राथमिक शिक्षा, 02-बोर्ड की परीक्षाओं का मुद्रांक' में जमा किया गया हो, (2) निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ-साथ (3) राज्य के किसी एक दैनिक समाचार पत्र की प्रती निर्माण प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र को जलने सम्बन्धी विवरण प्रमाणित कराया जा हो, संलग्न कराया जायेगा।
3. परिचरु द्वारा मजिस्ट्रेट परीक्षाधीन को निर्धारित मुद्रांक रु. 20.00 (बीस रुपये) परिचरु के निर्धारित फार में कोषागार में जमा करने पर प्रमाण प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा। संशोधन परीक्षाधीन को परिचरु द्वारा प्रमाण प्रमाणपत्र नहीं दिया जायेगा। जिस संस्था में परीक्षाधीन ने अध्ययन किया है उसका जिला विद्यालय निदेशक से अधिलेखित प्रमाणपत्र प्रमाण प्रमाणपत्र का कार्य होगा।

1. Before distributing the Certificate-Cum-Marks Sheet Principal will verify the entries from school records. In case of any corrections required, the principal should send the original Certificate-Cum-Marks Sheet to the concerned Regional Office of the Board along with relevant documents and recommendation. Before taking the Certificate-Cum-Marks Sheet candidate should verify the entries in the Certificate-Cum-Marks Sheet. If any correction is required an application is to be given to the concerned Regional Office of the Board along with the recommendations of the Principal. According to regulation-7, Chapter-3 of Intermediate Education Act-1921, no corrections will be entertained after 3 years of issuing of the Certificate-Cum-Marks Sheet.
2. Duplicate Certificate-Cum-Marks Sheet will be issued by the Board if the Certificate-Cum-Marks Sheet is lost, destroyed, deformed, torn or entries get dim or faded. Candidate applying for duplicate Certificate-Cum-Marks Sheet will enclose (1) Challan of Rs. 70.00 (Rs. Seventy only) deposited in state treasury in the following Account Head- "0202-shiksha, khet, kala aur sanskriti; 01-samanya shiksha; 102-madhyamic shiksha; 02- board ki parikshaon ka shulk". (2) Affidavit in the prescribed format. (3) Copy of the news paper in which notification regarding loss of Certificate has been published.
3. Migration Certificate will be given to private candidates by the Board on depositing the required fees of Rs. 20.00 (Twenty only) in state treasury in Board's Account Head. Migration Certificate is not issued to regular candidates. Transfer Certificate of the institution in which the candidate has studied, duly counter signed by District Inspector of Schools will serve the purpose of Migration Certificate.

## प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र में प्रयुक्त विभिन्न कोड के अर्थ एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

### (Descriptions of codes used in Certificate-Cum-Marks Sheet and other Important Instructions)

1. FULL EXAM - Candidate has appeared in all the 6 subjects.
2. ADL EXAM - Under Regulation 17(1) chapter - 12 of Board rules, candidate can appear in maximum 5 subjects excluding computer. Candidate will be given a certificate in passed subjects.
3. Maximum marks of each subject in High School is 100 (Theory-70 and Practical-30) and minimum pass marks is 33 (Theory-23 and Practical-10).
4. Subject wise grade has been indicated on the marks sheet, DIVISION AND GRAND TOTAL has not been mentioned on the marks sheet.

Awarded Grades according to the range of acquired marks in theory subject									
Grades	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	E1	E2
Marks	91-100	81-90	71-80	61-70	51-60	41-50	33-40	23-32	20 & less than 20

5. A Candidate has to acquire minimum 'D' grade in all the passed subjects, candidate acquiring 'E1' or 'E2' will be treated as failed in that particular subject.

6. Grace Marks - In High School if candidate fails in one or more subjects will be awarded grace marks in failed subjects. Only the required number of minimum grace marks will be awarded to qualify the examination even if more grace is permissible.

Grace marks will be awarded in theory portion of the each failed subjects only. No grace marks will be given if the candidates fails in Practical portion.

7. Grade A,B,C,D, and E awarded in Pre-Vocational Trades and Moral, Sports and Physical Education, exam of which of assessed internally at school level will have no effect on the result of the candidate.

8. SCRUTINY : Fees for scrutiny is Rs. 100-00 (One Hundred) per paper. Scrutiny form should reach within 30 days of declaration of result in concerned Regional Office.

9. Candidates should verify their result's particulars themselves. In case errors are found in particulars candidates should apply to the Board's Regional Office through their Principal/Centre Superintendent immediately for necessary corrections. Right of change in candidate's particulars is with Board Only. Change in particulars will be intimated to the candidate through their Principal/Centre Superintendent.

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र के समस्त विवरण विद्यालय अभिलेखानुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं।

(This is to certify that all the entries of the certificate-cum-marks sheet are fully correct and true according to the school's record.)

प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र निर्गत करने की तिथि

Date of Issuing the Certificate-Cum-Marks Sheet

- 1- FULL EXAM - परीक्षाधीन 6 विषयों में सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है।

- 2- ADL EXAM - परिचरु नियमों के विनियम 17(1) अन्वय-12 के अन्तर्गत परीक्षाधीन एक अथवा अधिकतम पाँच विषयों में कम्प्यूटर विषय को छोड़कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। परीक्षाधीन को उत्तीर्ण हुये विषयों का प्रमाणपत्र दिया जायेगा।

- 3- हाईस्कूल में प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 निर्धारित है जिसमें लिखित हेतु 70 तथा प्रयोगात्मक हेतु 30 अंक हैं। प्रत्येक विषय का न्यूनतम परीक्षाधिक 33 है जिसमें लिखित हेतु 23 तथा प्रयोगात्मक हेतु 10 अंक निर्धारित हैं।

- 4- प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र में विषयवार टैब का उल्लेख उनके प्राप्तांकों के अनुसार निम्नानुसार अधिकतम किया गया है। विषयवार प्राप्तांकों का सम्पूर्ण योग एवं श्रेणी आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

Awarded Grades according to the range of acquired marks in theory subject									
Grades	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	E1	E2
Marks	91-100	81-90	71-80	61-70	51-60	41-50	33-40	23-32	20 & less than 20

- 5- परीक्षाधीन को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम की ग्रेड प्राप्त अनिवार्य होगी। की ग्रेड से नीचे अर्थात् ई 1 अथवा ई 2 होने वाले छात्र/छात्रा सम्बंधित विषय/विषयों में अनुत्तीर्ण माने जायेंगे।

- 6- अनुप्रार्थक हाईस्कूल में एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षाधीन को उनके अनुत्तीर्ण विषयों में अनुप्रार्थक देय है। परीक्षाधीन को उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम आवश्यक अनुप्रार्थक ही देय है।

प्रत्येक उत्तीर्ण विषय के लिखित भाग में ही अनुप्रार्थक देय है। प्रयोगात्मक भाग में अनुत्तीर्ण होने पर अनुप्रार्थक देय नहीं है।

- 7- हाईस्कूल में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक, खेल एवं सांस्कृतिक शिक्षा में विद्यमान स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत पर A,B,C,D तथा E ग्रेड दिया जायेगा, जिसका परीक्षाफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 8- सम्मिलित मुद्रांक - सम्मिलित का मुद्रांक 100.00 प्रति प्रमाणपत्र है। सम्मिलित का आवेदन पत्र प्रमाणपत्र/वेबसाइट/प्रमाणपत्र से प्राप्त किया जा सकता है। सम्मिलित का आवेदन पत्र निर्धारित मुद्रांक के साथ पंजीकृत डाक से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षाफल घोषणा के 30 दिनों के अन्दर अवश्य पहुँच जाना चाहिए। अनुत्तीर्ण परीक्षाधीन सम्मिलित परीक्षा में प्रतीक्षा न करें और अगामी परीक्षा का आवेदन पत्र भर दें।

- 9- परीक्षाधीन अपने परीक्षाफल सम्बंधी विवरणों की भली भाँति स्वयं जाँच कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर प्रमाणपत्र के माध्यम से उसका निराकरण सम्भव करा लें। परिचरु को ही त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल को सुद्ध करने का अधिकार है जिसकी सूचना परीक्षाधीन को प्रमाणपत्र के माध्यम से दी जायेगी।

प्रमाणपत्र के हस्ताक्षर एवं मुहर  
(Signature and Seal of the Principal)